17.04.23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। दिनांक 19.12.2022 को धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को विषयवस्तु का ज्ञान वर्ष 2014 से था परन्तु सुप्रीम कोर्ट की स्थापित व्यवस्था के अनुसार तकनीकी त्रुटि से किसी अपीलांट के हक अधिकार समाप्त नहीं होते तथा वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट का हक-हिस्सा निहीत होना प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय म्याद अधिनियम स्वीकार कर पत्रावली अन्दर म्याद माना जाकर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को श्रवण योग्य माना जाता है। पत्रावली मे आज दिनांक 17.04.2023 अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, रेस्पोडेन्ट सं. तीन व चार को जवाब, बयान व राजस्व रेकर्ड का आद्योपांत भलीभांति अध्ययन अवलोकन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता व रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का विधिवत अवलोकन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	किया गया। अपीलेन्टान की अपील अन्तर्गत धारा 75 भू- राजस्व अधिनियम. 1956 के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से विरचित किया जाकर शामिल मिसल है। तहसीलदार रेवदर को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। 17/4/23 उपखण्ड अधिकारी रेवदर (राज०)	